

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 1779/11-सी- FP/UP/Road/37341/2018, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 21, 2021

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत-खटीमा मार्ग (N.H.709D) के चार लेन निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु 31.5323 हे० संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 7251 बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति। प्रस्ताव FP/UP/Road/37341/2018

संदर्भ- भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/८४/२०१९/एफ०सी०/५२१, दिनांक-३०.०१.२०२०

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर ने अपने पत्रांक-3282/14-1 दिनांक 15.01.2021 द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 21.01.2021 को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1779/11-सी- FP/UP/Road/37341/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
- 3- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई बागपत, उ०प्र०।

011

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।